

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत-बोड़वा  
पीठारीन अधिकारी-सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

आदेश

राजस्व लोक अदालत अभियान  
ग्याच आनके द्वार-2018

मु.स. 115/2018

मु.स. 552/2018

मु.स. 553/2018

आदेश दिनांक 21.05.2018

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कराये गये दस्तावेज के आधार व तहसीलदार जायल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट मय अभिशंपा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बोड़वा तहसील जायल जिला नागौर की जमाबंदी खाता सं. 455, 546, 483 संवत् 2070-73 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	बोड़वा	455	रमेशचन्द्र उर्फ हेमराज पुत्र विरमाराम	रमेश पुत्र विरमाराम
		546	रमेशचन्द्र उर्फ हेमराज पुत्र विरमाराम	रमेश पुत्र विरमाराम
		483	रमेशचन्द्र उर्फ हेमराज पुत्र विरमाराम	रमेश पुत्र विरमाराम



सुरेन्द्र प्रसाद  
उपखण्ड अधिकारी  
राजस्व लोक अदालत  
जायल (नागौर)

सुरेन्द्र प्रसाद  
उपखण्ड अधिकारी जायल  
जायल, जिला नागौर

क्रमांक : 2018/239  
प्रतिलिपि:

दिनांक : 21.05.2018  
21.5.18

1. तहसीलदार जायल, को भेजकर आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाएँ।
2. प्रार्थी श्री रमेश पुत्र विरमाराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सुरेन्द्र प्रसाद  
उपखण्ड अधिकारी जायल  
जायल, जिला नागौर